



क्र./शिक्षक-शिक्षा/05-41/एम.एड.(विभागीय)/2022/2012

रायपुर, दिनांक 27/05/22

**एम.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 2022-24 हेतु प्रवेश नियम**

1. शासकीय उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान (IASE) बिलासपुर एवं शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर में शैक्षिक सत्र 2022-24 के दौरान एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निर्धारित प्रपत्र में विभागीय एवं सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र व नियमावली SCERT के वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रवेश हेतु विभागीय एवं सीधी भर्ती के अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन <http://scert.cg.gov.in> में जाकर जमा कर पायेंगे। विभागीय एवं सीधी भर्ती अभ्यर्थी दिनांक 06.06.2022 से 25.06.2022 तक <http://scert.cg.gov.in> में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं एवं सम्पूर्ण आवश्यक दस्तावेज की हार्ड कापी संलग्न कर ऑनलाइन आवेदन के हॉडकापी के साथ सम्बंधित शासकीय शिक्षा महाविद्यालय में दिनांक 01.07.2022 तक डाक द्वारा/स्वयं उपस्थित होकर सीधे जमा करेंगे। शिक्षा महाविद्यालय में आवेदन जमा करने से पूर्व संस्था प्रमुख से आवेदन अग्रेषित कराना तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी से अपने सेवा संबंधित जानकारी का सत्यापन अवश्य करावें।

निम्नलिखित शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपाधि प्राप्त उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं:-

- छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षक 'ई' संवर्ग के कार्यरत पात्रताधारी उपसंचालक/प्राचार्य/व्याख्याता/उच्च श्रेणी शिक्षक एवं समकक्ष पदाधिकारी, (सहायक संचालक/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक, पूर्व माध्यमिक शाला/प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला/सहायक शिक्षक)
- छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षक 'टी' संवर्ग के कार्यरत पात्रताधारी प्राचार्य/व्याख्याता/उच्च श्रेणी शिक्षक एवं समकक्ष वर्ग एवं समकक्ष पदाधिकारी (सहायक संचालक/विकासखंड शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक, पूर्व माध्यमिक शाला/प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला/सहायक शिक्षक)
- छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षक 'LB' संवर्ग के कार्यरत व्या./शिक्षक/सहा.शिक्षक
- छत्तीसगढ़ पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग के कार्यरत व्याख्याता (पंचायत), शिक्षक (पंचायत) एवं सहायक शिक्षक (पंचायत)
- सीधी भर्ती हेतु पात्रताधारी अभ्यर्थी (जो सेवा में नहीं है)।

**2. निर्धारित सीटें :-**

क्र	संस्था का नाम	स्कूल शिक्षा विभाग 'ई', 'टी', LB, पंचायत तथा नगरीय निकाय संवर्ग के लिए एम.एड. (विभागीय) प्रवेश हेतु निर्धारित सीटें	सीधी भर्ती की सीटें	कुल योग
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
		उप संचालक/प्राचार्य/व्याख्याता/व्याख्याता LB/व्याख्याता (पंचा.)/प्र.पाठक (पूर्व मा.शाला)/उच्च श्रेणी शिक्षक/शिक्षक LB/शिक्षक(पं.)/प्र.पाठक (प्राथ.शाला)/सहायक शिक्षक/सहायक शिक्षक LB/सहायक शिक्षक (पंचा.) संवर्ग		
1	शास. उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान, बिलासपुर	44	06	50
	शास. शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर	44	06	50
	<b>कुल योग</b>	<b>88</b>	<b>12</b>	<b>100</b>

**3. न्यूनतम अर्हताएँ : उपरोक्त क्रमांक 1.(i) (ii) (iii) (iv) के लिए—**

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
2. NCTE के नियमानुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक सम्मिलित रूप से) में कम से कम 50% प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण हो। इसमें SC/ST/OBC (क्रिमीलेयर को छोड़कर)/ व दिव्यांग में दृष्टिबाधित/शिथिलांग वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% की छूट होगी।
3. स्नातक/डिप्लोमा स्तर के शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की परीक्षा दो वर्ष या उससे पूर्व उत्तीर्ण की हो।
4. प्रवेश वर्ष के 01 जुलाई को अभ्यर्थी की आयु 55 वर्ष से अधिक न हो।
5. NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त पत्राचार शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की उपाधि प्राप्त करने वाले भी एम.एड.(विभागीय) प्रवेश के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। समस्त शिक्षकों को चाहे वह विभागीय माध्यम से या पत्राचार से या अपने व्यय पर शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त किया हो अर्हता परीक्षा दो वर्ष या इससे पूर्व उत्तीर्ण होने का बंधन लागू होगा।

**4. न्यूनतम अर्हताएँ उपरोक्त क्रमांक 1.(v) के लिए :-**

1. NCTE द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक खण्डों में सम्मिलित रूप से) में कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी एम.एड. प्रवेश के लिए पात्र होंगे। इसमें SC/ST/OBC (क्रिमीलेयर को छोड़कर) / व दिव्यांग में दृष्टिबाधित/शिथिलांग वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% की छूट होगी।
2. NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त पत्राचार शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले भी आवेदन कर सकेंगे।
3. अर्हता परीक्षा दो वर्ष या उससे पूर्व उत्तीर्ण होने का बंधन इस वर्ग के लिए नहीं है।
4. अभ्यर्थी की आयु शासन द्वारा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अनुसार मान्य होगी।
5. अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो।
6. अभ्यर्थी को अंतिम संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी आचरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

**5. प्रवेश हेतु शर्तें :-**

1. स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षक 'ई', स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षक 'टी', स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षक 'LB' संवर्ग एवं पंचायत व नगरीय निकाय संवर्ग के अभ्यर्थियों का चयन अभ्यर्थी से संबंधित क्षेत्र के शासकीय शिक्षा महाविद्यालय में संचालित एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निर्धारित चयन परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की गयी प्रवीणता सूची के आधार पर किया जायेगा। NCTE विनियम 2014 के परिशिष्ट 5 के विनियम 4.1 के अनुसार एम.एम. पाठ्यक्रम के लिए बी.एड., बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड./डी.एल.एड. उपाधिधारी पात्र है।
2. शासकीय उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान (IASE), बिलासपुर व शास. शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर में एम.एड. (विभागीय) के चयनित छात्राध्यापकों का वेतन उनके पूर्व पदस्थ संस्था से आहरित होगा।
3. आवेदकों (सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों को छोड़कर) के लिए किसी प्रकार की छात्रवृत्ति का प्रावधान नहीं होगा।
4. चयनित समस्त अभ्यर्थियों को संबंधित शिक्षा महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के नियमानुसार शुल्क आदि का भुगतान करना होगा।
5. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. प्रवेश लेने के उपरांत एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण नहीं किया जावेगा।

7. सीधी भर्ती के स्थानों में नियमानुसार अनुसूचित जाति के लिए 12 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ी जाति (क्रिमीलेयर को छोड़कर) के लिए 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित है। महिलाएँ/विशेष आवश्यकता समूह/विधवा/परित्यक्ता/भूतपूर्व सैनिक एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पाल्यों के लिए आरक्षित स्थान राज्य शासन के नियमानुसार रहेंगे। आरक्षित वर्ग के पात्र आवेदकों के उपलब्ध नहीं होने पर रिक्त स्थान की पूर्ति छ.ग.बी.एड. प्रवेश नियम के अनुसार सीटों को परस्पर परिवर्तन कर की जायेगी। 6 सीट्स के लिए सीटों का आबंटन निम्नानुसार किया जायेगा :-

सत्र	ST	SC	OBC	UR	कुल सीट्स
	32%	12%	14%		06
सत्र 2020-21	01	01	01	02	06
सत्र 2021-22	02	—	01	03	06
सत्र 2022-23	02	01	—	03	06
सत्र 2023-24	02	01	01	02	06

(नोट - उपरोक्त सीटों में से किसी भी संवर्ग की कम से कम एक सीट यथा स्थिति नियमानुसार महिला वर्ग से भरी जाये।)

8. एम.एड. (विभागीय) में यदि विभागीय सीटें रिक्त रहती है तो महाविद्यालय एम.एड. सीधी भर्ती के सीटों में एवं सीधी भर्ती की सीटें रिक्त रहती है तो विभागीय सीटों में परस्पर परिवर्तन कर सभी सीट भरने की कार्यवाही कर सकेगी।
9. चयन का आधार सीधी भर्ती के लिए स्नातक/डिप्लोमा स्तर के शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की गई प्रवीणता सूची होगा। विभागीय शिक्षकों के लिए चयन का आधार एम.एड. हेतु आयोजित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की गई प्रावीण्य सूची होगा। विभागीय एवं सीधी भर्ती में अभ्यर्थियों के चयन परीक्षा/अर्हता परीक्षा के प्राप्तांक समान होने के स्थिति में अधिक आयु के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायेगी।
10. चयन परीक्षा शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर, शासकीय उन्नत शिक्षा अध्ययन, संस्थान बिलासपुर में आयोजित किया जायेगा। सीधी भर्ती के लिए चयन परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी। चयन परीक्षा दिनांक 20.07.2022 को आयोजित की जायेगी। इस तिथि में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट में दी जायेगी। अभ्यर्थी स्वयं के व्यय में इस चयन परीक्षा में सम्मिलित होंगे सम्मिलित अभ्यर्थियों को इसके लिए कोई टीए/डीए शासन द्वारा देय होगा।
11. एम.एड. की चयन परीक्षा का पाठ्यक्रम व अंक विभाजन निम्नानुसार होगा :-

क्रमांक	चयन परीक्षा का पाठ्यक्रम	अंक
1	सामान्य मानसिक योग्यता	20 अंक
2	सामान्य ज्ञान (समसामयिक मुद्दे)	10 अंक
3	शिक्षण अभिरूचि	10 अंक
4	भाषा बोध (हिन्दी व अंग्रेजी)	30 अंक
5	मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र	30 अंक

12. चयन परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थियों के रोल नंबर की सूचना SCERT\_रायपुर के वेबसाइट में दी जायेगी।

13. चयन परीक्षा जिन अभ्यर्थियों का चयन होगा उनके आवेदनों व दस्तावेजों का प्रारंभिक जांच महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

14. चयन परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क रुपये 200.00 (दो सौ रुपये) NFET Online के माध्यम से संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, शंकरनगर रायपुर के भारतीय स्टेट बैंक शाखा न्यू शान्ति नगर, रायपुर के खाता क्रमांक 10167214099 IFSC Code- SBIN0007237 में जमा किया जाना अनिवार्य है।

15. अंतरित की गई राशि संबंधित Confirmation पर्ची/ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

6. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि :-

(1) क्रमांक 1, (i), (ii), (iii), (iv), (v) के लिए -

स्कूल शिक्षा विभाग 'ई', स्कूल शिक्षा विभाग 'टी', स्कूल शिक्षा विभाग 'LB' संवर्ग एवं पंचायत एवं नगरीय निकाय संवर्ग एवं सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र में SCERT रायपुर के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> में दिनांक 06.06.2022 से दिनांक 25.06.2022 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही इस आवेदन का प्रिंट आउट (हार्ड कापी) निकालकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित संस्था में जमा करना होगा।

• शिक्षकों को अपने कार्यरत संस्था प्रमुख से आवेदन अग्रेषित कराना होगा तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी से अपनी सेवा से संबंधित जानकारी सत्यापित करानी होगी। इसके अभाव में आवेदन अमान्य किये जायेंगे।

शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर से संबद्ध जिले :-

1. रायपुर
2. महासमुंद
3. दुर्ग
4. राजनांदगांव
5. कवर्धा
6. बस्तर
7. दंतेवाड़ा
8. धमतरी
9. कांकेर
10. बेमेतरा
11. बलौदाबाजार
12. बालोद
13. गरियाबंद
14. सुकमा
15. बीजापुर
16. कोण्डागांव
17. नारायणपुर

शासकीय उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान, बिलासपुर से संबद्ध जिले :-

1. बिलासपुर
2. कोरबा
3. जांजगीर
4. रायगढ़
5. जशपुर
6. सरगुजा
7. सूरजपुर
8. बलरामपुर
9. कोरिया
10. मुंगेली
11. सक्ति
12. गौरैला पेंड्र मरवाही

(2) क्रमांक 1 (v) के लिए :-

सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों को दिनांक 25.06.2022 तक SCERT के वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस आवेदन का प्रिंट आउट प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ वे जिस महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं, दिनांक 01.07.2022 तक संबंधित संस्था के प्राचार्य को अपना आवेदन पत्र जमा करेंगे।

(3) आवेदन पत्र के साथ स्नातक, स्नातकोत्तर, बी.एड. तथा आयु संबंधित प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियाँ भी अभ्यर्थियों को संलग्न करनी है। सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी जो तहसीलदार से निम्न पद का न हो, द्वारा प्रमाणित छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के लिए), PH प्रमाण पत्र अंतिम अध्यापन किये गये संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रदत्त आचरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है। प्रवेश के समय मूल टी. सी. जमा करना होगा।

(4) कार्यालय संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर को सीधे भेजे गये किसी भी श्रेणी के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(5) प्रत्येक शासकीय शिक्षा महाविद्यालय द्वारा अपने क्षेत्र के अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जावेगा।

(6) आवेदनों के स्कूटनी के उपरांत प्रवेश प्रक्रिया एक समिति गठित की जायेगी। चयन समिति में संबंधित शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य अध्यक्ष होंगे तथा संचालक, परिषद् के द्वारा नामित दो प्रतिनिधि होंगे। शेष प्रतिनिधियों में से एक-एक स्कूल शिक्षा विभाग 'टी' एवं स्कूल शिक्षा विभाग 'ई' से होंगे जो स्थानीय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत किया जायेंगे।

(7) एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट में जारी करने के लिए चयन सूची व सभी प्रतीक्षा सूची को चयन सूची जारी करने के दिवस को ही भेजना होगा तथा ई-मेल पता [scertcg@gmail.com](mailto:scertcg@gmail.com) पर

ई-मेल करना होगा। अभ्यर्थी अपना चयन SCERT के बेवसाइट <http://scert.cg.gov.in> में भी देख सकते हैं।

(8) जानकारी सत्यापित करने वाले अधिकारी के लिए चेक लिस्ट –

- I. अभ्यर्थी की आयु प्रवेश वर्ष के 01 जुलाई 2022 को 55 वर्ष से अधिक न हो।
- II. अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई जांच/अपराधिक मामला/दण्ड/निलंबन की कार्यवाही लम्बित न हो।
- III. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ वर्तमान पद पर नियुक्ति/पदोन्नति तिथि से संबंधित दस्तावेज की जांच अवश्य करें।
- IV. NCTE के द्वारा निर्धारित अर्हता परीक्षा में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। इसमें SC/ST/OBC (क्रिमीलेयर को छोड़कर)/ दिव्यांग के अभ्यर्थी को 5% की छूट का प्रावधान रहेगा।
- V. SC/ST/OBC (क्रिमीलेयर को छोड़कर) वर्ग से अर्हता परीक्षा के प्राप्तांक में छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी से प्राप्त जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। दृष्टिबाधित/शिथिलांग आवेदकों को सक्षम अधिकारी का तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- VI. यह अवश्य जांच करे कि शिक्षक ने अर्हता परीक्षा सत्र 2022-24 के दो वर्ष या इससे पूर्व उत्तीर्ण किया है अथवा नहीं। यदि अर्हता परीक्षा 1 वर्ष या इसी वर्ष उत्तीर्ण किया हो तो उस शिक्षक का आवेदन अग्रेषित न करें।

(9) संस्था प्रमुख परिवीक्षा अविधि में कार्यरत शिक्षकों के आवेदन को अग्रेषित न करें।


प्रवेश के समय चाहे गये प्रमाण-पत्र पूर्ण एवं सही व नियमानुसार पाये जाने पर ही आवेदक को प्रवेश की पात्रता होगी। मूल प्रमाण-पत्र की जाँच का प्रवेश के समय संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा किया जावेगा। जाँच के दौरान प्रमाण-पत्र सही व नियमानुसार न पाये जाने पर आवेदक को प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी और इस संबंध में संबंधित प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा। प्रवेश हेतु प्रशिक्षार्थियों के चयन से संबंधित सभी नीतिगत प्रश्नों के संबंध में निर्णय एवं नियमों की व्याख्या करने के लिए संचालक, एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर अंतिम रूप से प्राधिकारी होगा। यदि प्रवेश के इन नियमों की व्याख्या से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

संचालक

एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग. रायपुर

एम.एड. (विभागीय) / बी.एड. (विभागीय) सत्र 2022-24 में प्रवेश के लिए संभावित समय-सारणी

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से NOC प्राप्त कर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि	अभ्यर्थी द्वारा सीधे/डाक से संबंधित महाविद्यालय में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	आवेदन पत्रों की प्रारंभिक जाँच की अंतिम तिथि	चयन परीक्षा की तिथि	दावा आपत्ति के लिए मॉडल उत्तर जारी करना	दावा आपत्ति की अवधि	उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन एवं मेरिट सूची तैयार करना	एम.एड. (विभागीय) में सफल अभ्यर्थियों के आवेदनों की जांच	चयन समिति की बैठक तिथि	चयन सूची जारी करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	बी.एड. (विभागीय)	06/06/22 से 25/06/22 तक	01/07/22	11/07/22	-	-	-	-	-	18/07/22 तक	27/07/22 तक
2	एम.एड. (विभागीय)	06/06/22 से 25/06/22 तक	01/07/22	-	20/07/22	25/07/22	29/07/22	08/08/22	16/08/22	22/08/22 तक	26/08/22 तक
3	एम.एड. (सीधी भर्ती)	06/06/22 से 25/06/22 तक	01/07/22	11/07/22	-	-	-	-	20/07/22	18/07/22 तक	25/07/22 तक

  
 संचालक  
 एस.सी.ई.आर.टी. छ.ग. रायपुर